English express
"THE EXCEPTIONAL SCHOOL"
Play and Learn

सूचना : जन्म प्रमाण पत्र / आधार कार्ड जमा करने के संबंध में

दिनांक-07-03-2026 Ref. No.: doc/udtltr/flup/nexm07032026525p

सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण सरकारी और कानूनी दस्तावेज़ हैं, जो स्कूल रिकॉर्ड और भविष्य की शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं।

पवित्र रमज़ान के महीने को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी न हो इसलिए पूरा सहयोग और धैर्य दिखाया है। फिर भी यह चिंता का विषय है कि कुछ अभिभावकों ने पिछले दो-तीन वर्षों से बार-बार याद दिलाने के बावजूद अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है।

अभिभावकों को यह बात प्रवेश के समय ही स्पष्ट रूप से बता दी गई थी और इसके बाद कई बार नोटिस, व्हाट्सऐप संदेश, फोन कॉल और लिखित सूचना के माध्यम से भी याद दिलाया गया है।

अंडरटेकिंग और परीक्षा

बच्चों की पढ़ाई को नुकसान न हो इसलिए स्कूल ने संबंधित छात्रों को अभिभावकों द्वारा लिखित अंडरटेकिंग देने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी।

अभिभावकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि:

- अंडरटेकिंग केवल परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए लिया गया था।
- जब तक आवश्यक दस्तावेज़ जमा नहीं किए जाते, तब तक परिणाम / **रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।**
- **केवल परीक्षा दे देने से यह न समझें कि मामला समाप्त हो गया है।**

सही और असली दस्तावेज़ जमा करना

अभिभावकों को अंडरटेकिंग में दिए गए समय के भीतर अपने बच्चे का असली और वैध जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड सही कानूनी प्रक्रिया से बनवाकर स्कूल में जमा करना होगा।

किसी भी प्रकार के नकली या गलत दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे क्योंकि स्कूल सभी दस्तावेज़ों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जांच करता है।

सरकारी नियम

भारत सरकार के Registration of Births and Deaths Act, 1969 तथा **Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023** के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि का मुख्य और मान्य सरकारी प्रमाण होता है और स्कूल रिकॉर्ड के लिए आवश्यक है।

प्रशासनिक सूचना

जब तक आवश्यक दस्तावेज़ जमा नहीं किए जाते:

- छात्र का परिणाम / रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) जारी नहीं किया जाएगा।
- छात्र का आधिकारिक रिकॉर्ड अधूरा रहेगा।

अभिभावकों का व्यवहार

अभिभावकों से अनुरोध है कि स्कूल परिसर में आते समय अनुशासन बनाए रखें। स्कूल स्टाफ के साथ किसी भी प्रकार की बहस, शोर-शराबा या दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऐसी स्थिति में स्कूल प्रशासन स्कूल के नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।

अतः सभी अभिभावकों से पुनः अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें ताकि छात्र का रिकॉर्ड पूरा किया जा सके और परिणाम घोषित किया जा सके।

प्रबंधन के आदेश से

स्कूल प्रिंसिपल
श्रीमती नयमा समर

Naime
7/Mai/26

M. Arifeen English Express Exceptional Education Global Trust

स्कूल अध्यक्ष
मोहम्मद अराफ़ीन

7/5/21